

**CERTIFICATE IN CONSUMER PROTECTION
(REVISED)(CCP)**

Term-End Examination

June, 2021

**CPI-101 : CONSUMER AND CONSUMER
PROTECTION LEGISLATIONS**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

Note : *This question paper is divided into **three** parts :
Part A, Part B and Part C. **All** parts are
compulsory.*

PART A

*Write short notes on any **four** of the following in
about 200 words each. Each note carries 5 marks. 4×5=20*

1. Consumer and Consumerism
2. Reasons for the Rapid Growth of Consumer Organisations in the West
3. 'Ethical Consumer' and 'Green Consumer'
4. Level of Consumer Awareness in India
5. Connection between Corporate Social Responsibility (CSR) and Social Objective and Responsibility

PART B

*Answer any **five** of the following questions in about 400 words each. Each question carries 10 marks. 5×10=50*

- 6.** Discuss the scope and ambit of consumer satisfaction.
- 7.** Discuss the dimensions of consumer environment with special reference to economic environment.
- 8.** Explain the meaning of Pure Monopoly along with mechanism for price determination and the pattern of consumer behaviour.
- 9.** Why do consumers need protection ? Discuss.
- 10.** Discuss and analyse the Consumer Movement in Europe.
- 11.** Discuss the salient features of the Legal Metrology Act, 2009.
- 12.** Discuss the procedure for filing complaint under the Consumer Protection Act.

PART C

*Answer any **two** of the following questions in about 600 words each. Each question carries 15 marks. 2×15=30*

- 13.** Discuss in detail the term 'Misleading Advertisement' with the help of decided case laws.
 - 14.** Discuss in detail the achievements made by the Consumer Movement in India.
 - 15.** Discuss and analyse the code of conduct evolved by the Council for Fair Business Practices. Also list out the fundamental obligations of the business persons under the said code.
 - 16.** Discuss who is not a consumer with the help of case laws. What can be the subject-matter of a complaint ?
-

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र
(संशोधित) (सी.सी.पी.)
सत्रांत परीक्षा
जून, 2021

सी.पी.आई.-101 : उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण विधान

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट: यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है : भाग क, भाग ख और भाग ग । सभी भाग अनिवार्य हैं ।

भाग क

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए । प्रत्येक टिप्पणी के 5 अंक हैं । $4 \times 5 = 20$

1. उपभोक्ता एवं उपभोक्तावाद
2. पश्चिम के उपभोक्ता संगठनों की तीव्र वृद्धि के कारण
3. 'नीतिपरक उपभोक्ता' एवं 'हरित उपभोक्ता'
4. भारत में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर
5. कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सी.एस.आर.) और सामाजिक उद्देश्य एवं ज़िम्मेदारी के बीच का संबंध

भाग ख

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं। 5×10=50

6. उपभोक्ता संतुष्टि के विस्तार एवं दायरे की चर्चा कीजिए।
7. उपभोक्ता पर्यावरण के आयामों की चर्चा, आर्थिक पर्यावरण के विशेष संदर्भ में कीजिए।
8. विशुद्ध एकाधिकार के अर्थ की व्याख्या, कीमत निर्धारण के तंत्र और उपभोक्ता व्यवहार के पैटर्न सहित कीजिए।
9. उपभोक्ताओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है ? चर्चा कीजिए।
10. यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन की चर्चा एवं इसका विश्लेषण कीजिए।
11. विधिक मापविद्या (मेट्रोलॉजी) अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की क्रियाविधि की चर्चा कीजिए।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए । प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक हैं । 2×15=30

13. 'भ्रामक विज्ञापन' शब्द की सविस्तार चर्चा, निर्णीत केस विधियों की सहायता से कीजिए ।
 14. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की उपलब्धियों की सविस्तार चर्चा कीजिए ।
 15. काउन्सिल फॉर फेयर बिज़नेस प्रैक्टिसिस द्वारा विकसित आचार-संहिता की चर्चा एवं विश्लेषण कीजिए । साथ ही, उक्त कोड के अंतर्गत व्यावसायिकों के मूलभूत दायित्वों की सूची बनाइए ।
 16. उपभोक्ता कौन नहीं है, केस विधियों की सहायता से चर्चा कीजिए । शिकायतकर्ता किन विषय-वस्तुओं के आधार पर, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ?
-